

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- संस्था / चिअ / एटी / प01 / 11 / ३१

दिनांक :- २८ / ०६ / २०११

—: आदेश :—

निर्देशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप चिकित्सकों को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया गया। नियुक्ति कि शर्तों के अनुसार आदेश जारी होने कि दिनांक से एक माह के भीतर-2 नव नियुक्ति पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। निम्नलिखित चिकित्सक ने उसके नाम के सामने अंकित कारणों से कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि हेतु निवेदन किया है:—

क्रमांक	चिकित्सक का नाम	मेरिट संख्या	आदेश क्रमांक / दिनांक	पदस्थापन स्थान	अभिवृद्धि का कारण	कार्यग्रहण अवधि में वांछित वृद्धि की दिनांक
1	डा० कैलाश सिंह जाट	974	44 / 27.04.11	प्रा०स्वा०केन्द्र बागोल पाली	पी०जी० पूर्ण होने तक	दिनांक 30 / 06 / 13 तक
2	डा० विकास चौधरी	R-4	52 / 13.05.11	प्रा०स्वा०केन्द्र रोहणी नागर,	डी०सी०एच० कोर्स पूर्ण होने तक	दिनांक 29 / 06 / 12 तक
3	डा० गोरी चावला	R-85	52 / 13.05.11	प्रा०स्वा०केन्द्र, डुगरासिंहपुर श्रीगंगानगर	निश्चेतन डिप्लोमा होने तक	दिनांक 11 / 04 / 12
4	डा० रेखा शर्मा	R-223	52 / 13.05.11	प्रा०स्वा०केन्द्र, चौरू जयपुर	पी०जी० पूर्ण होने तक	दिनांक 29 / 06 / 13 तक


उपरोक्त चिकित्सकों को वांछित अवधि तक कार्यग्रहण हेतु अभिवृद्धि दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक ०३.०७.११ तक नवनियुक्ति स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर ले, अन्यथा निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त / नाम नियुक्ति आदेश से विलोपित हो जायेगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जाते हैं।


 निदेशक (जन स्वास्थ्य)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
 राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, (गुप्त-२) राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, संबंधित।
6. संबंधित चिकित्सक को घर के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वैबसाइट पर डालवाने की व्यवस्था करें।
8. निजि / आदेश पत्रावली।


 निदेशक (जन स्वास्थ्य)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
 राजस्थान जयपुर।